राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-452/2011
अब्दुल रशीद वल्द हबीबुर्ररहमान बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक-28.02.2011

माननीय न्यायाधिपति श्री एस एस कोठारी

श्री रजनीश गुप्ता, अधिवक्ता- प्रार्थी की ओर से
श्री लक्ष्मण मीना, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

-

प्रार्थी अब्दुल रशीद वल्द हबीबुर्ररहमान की ओर से यह दाण्डिक विविध याचिका अपर सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी जिला कोटा के द्वारा दिनांक 07.02.2011 को वाहन को छोड़ने हेतु 06 लाख रूपये की बैंक की गारण्टी एवं इसी राशि का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि श्री महावीरप्रसाद राठौड़ ए एस आई थाना-कनवास मय जाप्ता मुखबीर की सूचना के आधार पर जंगल भूरिया खाल में पहुंचे तो वहां ट्रेक्टर संख्या- आर जे-33 आर ए 0252 को ताजा पत्थर की चिंगारी टूटे हुए भरे हुए के साथ खड़ा पाया। जो वन सम्पदा थी। इस हेतु प्रार्थी के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा-26,41 व 42 वन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपराध बनना पाने के कारण वाहन जब्त किया गया है। इस वाहन को सुपुर्दगी पर लेने हेतु प्रार्थी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कनवास जिला कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.2011 से अस्वीकृत किया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी को विद्वान अपर सैशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.02.2011 से स्वीकार करते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास के आदेश दिनांक 24.01.2011 को अपास्त करते हुए आदेश पारित किया कि यदि प्रार्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास जिला कोटा के संतोषप्रद छः लाख रूपये की बैंक गारण्टी तथा इसी राशि का सुपुर्दगीनामा आरोपित शर्तों के साथ पेश करे तो वाहन उसे सपुर्दुगी पर दे दिया जाए।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी इस आदेश में केवल बैंक गारण्टी पेश करने के आदेश से व्यथित है जिसे पेश करने की स्थिति में प्रार्थी नहीं है। यह बैंक गारण्टी का आदेश अत्यधिक ज्यादतीपूर्ण है। इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से यह है कि प्रार्थी का आवेदन ही अस्वीकृत हो गया है क्यों कि वह बैंक गारण्टी पेश कर वाहन छुड़ाने की स्थिति में नहीं है। अत: इस शर्त को अपास्त कर उचित शर्तों पर वाहन इसे सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश पारित किया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक ने सुपुर्दगी की शर्तों को युक्तियुक्त किये जाने की प्रार्थना का कोई विरोध नहीं किया।

मैंने उक्त तर्कों पर विचार कर आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। साथ ही निम्न विधि दृष्टान्तों को भी देखा।

1.रिछपालसिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2007 डब्ल्यू एल सी (राज.) यू सी-510
2. कैलाश चन्द बनाम राजस्थान राज्य , एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-1613/2009 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2009
3.बंशीलाल बनाम राजस्थान राज्य 2010 डब्ल्यू एल सी(राज.) यू सी-631

इस सबसे यह स्थिति समक्ष आती है कि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में जो 06 लाख रूपये की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, वह वास्तव में प्रार्थी को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है । इसकी पालना करने में प्रार्थी द्वारा बतायी गयी कठिनाई को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। मैं इस मत का हूं कि इसके स्थान पर यदि प्रार्थी को उचित राशि की प्रतिभूति एवं सुपुर्दगीनामा पेश करने का आदेश दे वाहन छोड़ने का निर्देश दिया जाए तो इससे न्याय के उद्धेश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

अत: प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक विविध याचिका स्वीकार कर विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय - अपर सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 07.02.2011 में 06 लाख रूपये की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने का जो आदेश दिया गया है, उसे अपास्त कर निर्देश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास जिला कोटा के संतोषप्रद 05 लाख रूपये की मोतबिर जमानत एवं इसी राशि का सुपुर्दगीनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित शर्तों को अंकित करते हुए प्रस्तुत कर देता है तो प्रश्नगत ट्रेक्टर उसे सुपुर्दगी

पर दे दिया जावे। पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी जिला-कोटा द्वारा आरोपित अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।

उक्तानुसार यह दाण्डिक विविध याचिका निस्तारित करते हुए संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या-454/2011 चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(न्या0 एस एस कोठारी)

" all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed."

अनिलशर्मा/-ps